Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 4, July-2021, ISSN 2230-7540

याज्ञवल्क्य स्मृति में राजधर्म

Smt. Anila Bathala*

Assistant Professor, Department of Sanskrit, Shri Lal Nath Hindu College, Rohtak, Haryana

सारांश - राजधर्म को सभी धर्मों का सार या तत्त्व कहा जाता है, यह ज्ञातव्य है कि मनुष्य में बनाए रखने वाले गुण मानव धर्म कहे जाएगें तथा मनुष्यों में जो व्यक्ति किसी क्रिया विशेष के उत्तरदायित्व से युक्त होगा उसका धर्म भी सामान्य से भिन्न होगा यही अधिकारी धर्म है। अतः मनुष्यों में जो राजा होगा उसका धर्म भी उन साधारण से भिन्न होगा। इसलिए राजधर्म शब्द को प्रयोग किया गया है।

----------X----------

राजा और उसके धर्म से सम्बन्धित नियमों को भी राजधर्म की संज्ञा दी गई है

आ त्वाहार्षमन्तरेधि ध्रुवस्तिष्ठाविचाचलिः।

विशस्तवा सर्वा वा´हन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधि भ्रशत्।।[1]

अथार्त् त्रखवेदादि ग्रन्थों के कुछ मन्त्रों में राजा के चुनाव की ओर संकेत किया गया है। यहां पर राजा से कहा गया है कि तुम राष्ट्र के अधिपति बनाए गए हो। तुम राष्ट्र के स्वामी और स्थिर मति, अटल विचर और दृढ़ कार्यों को करने वाले बनों। तुम्हारी प्रजा तुम्हारे प्रति अनुरक्त रहे और तुम्हारे राष्ट्र का अमंगल न हो। तुम पर्वत के समान अटल होकर यहां निवास करो। जैसे इन्द्र अविचलित रूप से रहते हैं उसी प्रकार तुम भी निश्चल होकर रहो तथा अपने राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने वाले बनो।

राजा का अधिकारः-

समान्य रूप से प्राचीन भारत का राजतन्त्र वंशानुक्रम पर ही आधारित प्रतीत होता है। रामायण में श्रीराम को युवराजपद पर आसीन करते हुए राजा दशरथ राम से कहते हैं कि तुम मेरी बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए हो और गुणों में तो मुझ से भी बढ़कर हो। अतः मेरे परम प्रिय पुत्र होते हुए तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुण्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो।[2]

विभागं जेत् पिता कुर्यादिच्छया विभतेज् सुतान्।

ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समाशिनः।।[3]

अर्थात् पिता की अपनी सम्पत्ति में से ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग देकर विभाजन कर देना चाहिए।

बहुत प्राचीन काल से राजा को कई श्रेणियों में बांटा गया है। याज्ञवल्क्य के मतानुसार न्यायपूर्वक राज्य करने में राजा का जो धर्म होता है वही धर्म वह दूसरे राष्ट्र को वश में करने में होता है। विजिगीजु की विजित राष्ट्र की परम्पराओं रीतियों आदि पर अपनी संस्कृति का दुःसह भार नहीं डालना चाहिए।[4]

राजा के गुण और योग्यताः-

राजा को महान उत्साही, अत्यन्त धन देने वाला, विनित, सत्त सम्पन्न, सम्पत्ति एवं विपत्ति में एक-सा आचरण करने वाला हो। कुलीन सत्य वचन बोलने वाला पवित्र आलस्य रहित, जानते हुए कार्यों का स्मरण रखने वाला सद्गुणी, दसरे को दुःख न देने वाला, आर्थिक, व्यसन न करने वाला बुद्धिमान, वीर, रहस्य को छिपाने में चतुर तथा अपने राज्य के प्रवेश द्वारों को गुप्त रखने वाला। आन्वीक्षिकी, दण्डनीती और वार्ता इन विद्याओं में राजा प्रवीण होना चाहिए।[5]

राजा की सुरक्षाः-

राजा की सुरक्षा आन्तरिक और बाह्य दोनों शत्रुओं से अच्छी प्रकार होनी चाहिए। मनु ने राजा को सवारी, सोने के साधन पलंग आदि आसन, भोजन, स्थान और श्रृंगार प्रसाधन उबटन आदि और सब राजचिह्न जैसे अलंकार आदि साधनों में भी इसी प्रकार योग्य सेवकों को परीक्षापूर्वक नियुक्त करना चाहिए।[6]

www.ignited.in

राजा के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्वः-

राजा की सृष्टि समाज में अराजकता को दूर करने के लिए नियुक्ति हुई थी। राजा अपने राजस्व मात्रा से ही अराजकता को दूर करके शान्ति और व्यवस्था का उत्तरदायित्व था।

ब्राह्मणेषु क्षमी स्निग्द्येष्वाजिह्मः क्रोधनोऽरिषु।

स्याद्राजा भृत्यवर्गेषु प्रजासु च यथा पिता।।[7]

अथार्त् याज्ञवल्क्य राजा के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में केवल राजशास्त्रीय दृष्टिकोण रखते हैं। राजा को ब्राह्मणों के प्रति क्षमाशील होना चाहिए। अनुराग रखने वालों के प्रति सरल, शत्रुओं के प्रति क्रोधी तथा सेवकों एवं प्रजा के प्रति पिता के समान दयावान एवं हितकारी होना चाहिए, क्योंकि न्यायपूर्वक राजा का पालन करने पर राजा प्रजाओं के पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जो भूमि के लिए युद्ध में लड़ते हुए हथियारों से मारे जाते हैं वे योगियों के समान स्वर्ग को प्राप्त करते हैं।[8]

राजा को अपने दैनिक कार्य में पुर की ओर अपनी रक्षा करके, स्वयं आय और व्यय का लेखा देखे। इसके पश्चात् भोजन करे। भोजन करने के पश्चात् नियुक्त व्यक्तियों द्वारा लाए गए स्वर्ण को भण्डार में रखे, तब गुप्तचरों से बातें और फिर मंत्री के साथ बैठकर इतों को निर्दिष्ट कार्य करने के लिए भेजें।[9]

मन्त्रियों के गुण और कर्त्तव्यः-

याज्ञवल्क्य ने मन्त्रियों की संख्या का वर्णन नहीं किया। मनु ने मन्त्रियों के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि स्वदेश में उत्पन्न हुए वेदादि शास्त्रों के जानने वाले, शूरवीर जिनके लक्ष्य और विचार निस्फल न हों और कुलीन तथा अच्छी प्रकार सुपरीक्षित्, उत्तम, धार्मिक मन्त्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए।[10]

मन्त्रणा पद्धतिः-

मन्त्री परिषद् से एकान्त में मन्त्रणा करना अच्छा समझा जाता है।

मन्त्रामूलं यतो राज्यं तस्मान्मन्त्रां सुरक्षितम्।

कुर्याद्यथाऽस्य न विदुः कर्मणामा फलोदयात्।।[11]

अथार्त् राज्य कार्य का मुख्य आधार मन्त्र हैं, इसलिए मन्त्र को इस प्रकार राजा गुप्त रखे कि राजा के कर्मों के फलीभूत होने के पूर्व उसी जानकारी किसी को न मिल सके।

मन्त्रियों के पद और कार्यविधिः-

याज्ञवल्क्य मन्त्रियों के मन और उनकी कार्यविधि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि-

पुरोहितः-

राजा को अग्निहोत्रादि श्रौत एवं उपासनादि कर्मों का अनुष्ठान कराने के लिए ऋत्विजो का वरण करना चाहिए तथा विधिपूर्वक प्रचुर दक्षिणा के साथ राजसूयादि यज्ञ करने चाहिए।[12] याज्ञवल्क्य पुरोहित की अमात्यों या मन्त्रियों में गणना करते हुए कहते हैं कि राजा, अमात्यों प्रजा, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र ये राज्य के मूल कारण हैं। इसलिए राज्य को सप्तांग कहा जाता है।[13]

दूतः-

अति प्राचीन काल में भी इत और इसका पद प्रचलित था।

हिरण्यं व्यापृतानितं भाण्डागारेषु निक्षिपेत्।

पश्येच्चारांस्ततो इतान्प्रेषयेन्मन्त्रिसंगतः।।[14]

अथार्त् याज्ञवल्क्य ने बहुत सुन्दर ढंग से तीन प्रकारों का वर्णन करते हुए कहा कि स्वर्ण आदि लाने के लिए नियुक्त व्यक्तियों द्वारा लाए गए स्वर्ण को भण्डार में रखना चाहिए तथा गुप्तचरों से बातें करने के उपरांत मंत्री के साथ बैठकर दूतों को निर्दिष्ट कार्य करने के लिए भेजना चाहिए।

राष्ट्रीयता तथा शासन व्यवस्थाः-

राज्य के सप्तांग वर्णन में राष्ट्र को भी अंग माना गया है राजा को रमणीक, पशुओं की वृद्धि में योग्य जीवन निर्वाह में कन्दमूल, पुष्प और फल से सहायता देने वाले एवं वनप्राय देश में निवास करना चाहिए और उसी स्थान पर परिजनों,कोश एवं अपनी रक्षा के लिए दुर्ग बनवाना चाहिए।[15] प्रशासन की दृष्टि से ग्राम को ही निम्नतम इकाई समझा जाता है। प्राचीन काल से भारत की प्रगति का विशेष महत्त्व रहा है।

अधिकारियों की जीविकाः-

राजा को धर्म, अर्थ कामादि कर्मों में, आय कर्म और व्ययकर्म में निपुण, कार्यकुशल, पवित्र एवं कर्त्तव्यनिष्ठ अदृयक्षों की नियुक्ति कर लेनी चाहिए, जो आय व व्यय का हिसाब अच्छी तरह जानते हों।[16] राजा को दान के रूप में भूमि को देकर या उसका निर्धारण करके भविष्य के साधु-वृत्ति वाले राजाओं के

www.ignited.in

ज्ञान के लिए लिख लेना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह दो अंगुल भूमि को भी बिना कर के न छोड़े अथार्त् सब पर कर लगा दे।

दुर्गः-

प्राचीन भारत में युद्ध के साधन आजकल के साधनों से सर्वथा भिन्न थे। उस समय की सेना के मुख्य अस्त्र-शस्त्रों में धनुष, बाण, तलवार आदि ही होते थे। यही कारण है कि उस समय दुर्ग का महत्त्व बहुत अधिक रहता था। मनु ने दुर्ग के निर्माण का कारण भली-भांति बताते हुए लिखा है कि दुर्ग में स्थित एवं धनुर्धर सौ धनुर्धरों को तथा सौ धनुर्धर एक सहस्त्र धनुर्धरों को मार गिरा सकते हैं।[17]

सेनाः-

विपक्षियों की पराजय और अपनी विजय महत्त्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रमुख साहय सेना है। यह सेना हाथी, घोड़े और रथ के सवारों एवं पदाति बल से युक्त होती है। किसी विशेष सिद्धान्त तथा आकार-प्रकार से व्यूत रचना करने के अतिरिक्त भी सेना को व्यावहारिकता की दृष्टि से नियोजित किया जा सकता है। तथा युद्ध क्षेत्र की अपनी प्रकृति के अनुसार भी सैन्य व्यवस्था में अन्तर हो सकता है। जो भूमि के लिए युद्ध में सन्मुख लड़ते हुए अकूट हथियारों से मारे जाते हैं, वे योगियों के समान स्वर्ग को प्राप्त करते हैं।[18]

मित्रः-

राजा के लिए सच्चे मित्र का होना बहुत ही जरुरी है क्योंकि राजा मित्रों की सहायता से अपना राजधर्म अच्छी प्रकार निभाता है।

हिरण्भूमिलाभेभ्यो मित्रलब्धिर्वरा यतः।

अतो यतेत तत्प्राप्त्यै रक्षेत् सत्यं समाहितः।।[19]

अर्थात् हिरण्य, भूमि और मित्र के लाभ में मित्र लाभ उत्तम है। इसलिए मित्र लाभ की ओर चेष्टा करे और अपनी सच्चाई की भी सावधानी से रक्षा करें। अपने राज्य में जिस राजा की सीमा हो वह और उससे परे जो हो तथा इससे भी परे जो राजा है- ये क्रमशः शत्रु, मित्र ओर उदासीन होते है। इसका अभिप्राय समझ कर सामादि उपाय करता रहे।[20] इसलिए राजा के अधिक से अधिक मित्र होने चाहिए।

उपसंहारः-

राजधर्म की उत्पत्ति बहुत पहले से ही थी, क्योंकि ऋग्वेदादि और रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य ने राजधर्म के सभी विषयों का वर्णन अच्छी प्रकार से किया गया है। जैसे- राजा का अधिकार, राजा के गुण और योग्यता, राजा की सुरक्षा, राजा के कर्तव्य, और उत्तरदायित्त्व, मन्त्रियों के गुण और कर्त्तव्य, मन्त्रणा पद्धति, पुरोहित, मुद्रा और वेतन, दूत, राष्ट्रीयता तथा शासन-व्यवस्था, अधिकारियों की जीविका, दुर्ग, सेना और मित्र आदि का वर्णन किया गया हैं।

संदर्भ सूचीः-

1. ऋग्वेद - 10.173.1-2
2. ज्येष्ठामसि में पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुतः।

   उत्पन्नस्त्वं गणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः।। रामायण-2.39.40
3. याज्ञवल्क्य स्मृति - 2.114
4. य एव नृपतेर्धर्मः स्वराष्ट्रपरिपालने।

   तमेव-कृत्स्नमाप्नोति परराष्ट्रं वशं नयन।। याज्ञवल्क्य स्मृति-1.342
5. याज्ञवल्क्य स्मृति - 1.309-311
6. मनुस्मृति - 7.220
7. याज्ञवल्क्य स्मृति - 1.334
8. य आहवेषु ----- स्वर्गं योगिनो यथा। याज्ञवल्क्य स्मृति - 1.324
9. याज्ञवल्क्य स्मृति - 1.327-28
10. मनुस्मृति-7.54
11. याज्ञवल्क्य स्मृति - 1.344
12. याज्ञवल्क्य स्मृति-1.374
13. याज्ञवल्क्य स्मृति - 1.353
14. कृष्णलः पं च ------- पणः। याज्ञवल्क्य स्मृति - 1.363-365
15. याज्ञवल्क्य स्मृति -1.328
16. याज्ञवल्क्य स्मृति-1.321

www.ignited.in

17. मनुस्मृति - 7.74

18. याज्ञवल्क्य स्मृति-1.324

19. याज्ञवल्क्य स्मृति-1.352

20. अरिर्मित्रामुदासीनोऽनन्तरस्तत्परः परः।

कमशो मण्डलं चिन्त्यं सामादिभिरुपकमैः। याज्ञवल्क्य स्मृति - 1.345

Corresponding Author

Smt. Anila Bathala*

Assistant Professor, Department of Sanskrit, Shri Lal Nath Hindu College, Rohtak, Haryana

www.ignited.in